

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

संक्रांक : 139/प्र0अ0-मवल/जोन-1/शम1/प्रस्ता0/2012 13 दिनांक 25/07/2013

विनियमितीकरण/अनुमति पत्र

यह विनियमितीकरण निर्माण को अनुमति ज0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु उर्थ यह न समझना चाहिये कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/Extension मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विकास या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गालिकाता अधिकारों पर किसी का कोई उत्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्व मित्त के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 सुधी0 यादव एवं श्रीमती सविता यादव स्थल संख्या-83 जार्ज टाउन एक्सटेन्शन स्कीम, प्लॉट संख्या-20वीं/15ए/ 15/1, बंगला नं0-15 (पुराना) हारिंगपुर रोड, इलाहाबाद जॉन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण/Extension मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्माण आदेश दिनांक 07.07.2013 एवं 03.07.2013 के अनुषंगान में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन विनियमित/अनुमत्य किया जा रहा है :

1. ज0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसंग स्तन निर्माण एवं दिकृत उपनिधि 2008 में उपबन्धि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisioral) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं उक्तानय समस्त अपेक्षारहितारों पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 15 अर्द्ध दृष्ट लगाना होगा तथा वृक्षों को उखा-र रखने का द वित्त आवेदक होगा।
5. मानचित्र में दर्शित पार्किंग स्थल को भूमि के निर्माण को हटाकर पार्किंग स्थल को क्लीवर करना होगा।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली नामक के अनुसार विकसित कर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनुमति पत्र संख्या-2013/इल0/0338/सि0ला0/00-8 दिनांक 16.01.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (धाराप्रति संलग्न)
8. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-76/न0अ0/STCE/13 दिनांक 30 जनवरी, 2013 में अंकित शरत प्रतिबन्ध बाध्यकारी होंगे।
9. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत नामांतरण पत्र संख्या-159/प्र0अ0-इम्पू0/वे0प्र0/20-3-14 दिनांक 28.05.2013 में अंकित प्रतिबन्धों के अनुपालन बाध्यकारी होगा।
10. नर्सिंग होम में संक्रमक रोगों का इलाज पूर्णतया निषिद्ध होगा।
11. नर्सिंग होम का वेस्टेज डिस्पोजल संज्ञीकृत संस्था के माध्यम से निरन्तर रूप से किया जाय।
12. मानचित्र में दर्शित टू-बी डिमॉलिश नाम के कुशल इन्जीनियर की देख रेख में धरतः करके नये निर्माण प्रस्तावना के अन्तर्गत करना होगा।

Continued

